भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4349
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आत्महत्या और ऋण

4349. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत दो वर्षों में महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में क्रमश 3258 और 2305 किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के आंकड़े सही हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) क्या किसान निजी साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर ऋण ले रहे हैं, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को दी जाने वाली सहायता अपर्याप्त है और कई किसान इस सहायता से भी वंचित रह जाते हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की क्या भूमिका है;

(ङ) क्या बड़े व्यापारियों के ऋण माफ कर दिए गए थे परन्तु किसानों को कोई ऋण माफी नहीं मिली थी, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) कृषि उत्पाद बाजार में सरकारी हस्तक्षेप को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएँ' (एडीएसआई), नामक अपने प्रकाशन में आत्महत्याओं से संबंधित सूचनाओँ संकलन और प्रसार करता है। वर्ष 2022 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है। आत्महत्याओं के विभिन्न कारण हैं। कृषि राज्य का विषय है। राज्य सरकारों द्वारा राज्य के प्रावधानों और नियमों के अनुसार अनुदान राशि या राहत प्रदान करती हैं।

(ग) से (ङ): सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है। किसानों के लिए 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण उपलब्ध है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% की अग्रिम ब्याज अनुदान (आईएस) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, समय पर अपने ऋण की वापसी अदायगी करने वाले किसानों को 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से 4% प्रति वर्ष हो जाती है। आईएस और पीआरआई का लाभ 3 लाख रुपये तक की ऋण सीमा के लिए उपलब्ध है। 31.03.2025 तक, महाराष्ट्र में कुल सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खाते 70,31,236 हैं, जिनकी कुल ऋण राशि 85046.18 करोड़ रुपये है।

महाराष्ट्र वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। विगत 9 वर्षों में, इस योजना के तहत 797.94 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के साथ कुल 1308.32 लाख किसान आवेदनों का बीमा किया गया है। इसी अवधि के दौरान भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के लिए प्रीमियम सब्सिडी हेतु कुल 60,133.20 करोड़ से अधिक रुपये जारी किए गए हैं। इस संपूर्ण अवधि के दौरान एकत्रित प्रीमियम में किसानों का शेयर कुल 5,547.77 करोड़ रुपये है और योजना कवरेज के तहत बीमा कंपनियों द्वारा कुल 42,811.59 करोड़ रुपये का दावा जारी किया गया है, अर्थात् किसानों को उनके द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम राशि का लगभग 7.7 गुना प्राप्त हुआ है। राज्य ने खरीफ 2022 से वैकल्पिक जोखिम अंतरण उपाय के रूप में कप एंड कैप मॉडल (80 -110) को अपनाया है ।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, राज्य सरकारें, अपने अधीन राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। तथापि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(च): कृषि विपणन राज्य का विषय है। भारत सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों द्वारा बेहतर मूल्य का पता लगाने के लिए कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) को ई-नाम के साथ एकीकृत कर दिया गया है। महाराष्ट्र में 133 एपीएमसी को ई-नाम के साथ एकीकृत किया गया है।

*****